कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 1025 / 12–1 (1)   दिनांक, देहरादून, अक्टूबर , 03, 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, वन विभाग कॉलोनी, देहरादून ।

विषयः जनपद देहरादून में विसोगीलानी से उटैल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा–नेहरा पुनाह मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.065 है0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के अंतर्गत गैर वानिकी कार्य की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव ।

संदर्भः प्रस्ताव संख्या FP/UK/ ROAD/ 11427 /2015

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता ने अपने कार्यालय पत्रांक 928/ 12–1 दिनांक 22–09–2015 द्वारा जनपद देहरादून में विसोगीलानी से उटैल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा–नेहरा–पुनाह मोटर मार्ग का निर्माण (किमी 1 से 5 किमी) हेतु 2.065 हेक्टेअर वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रेषित गया किया है।

प्रस्तावित मोटर मार्ग में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रभाग / रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई मीटर	क्षेत्रफल हेक्टर	कुल बाधित वृक्षों की संख्या	बाधित बांज के वृक्ष जो कालम 5 में सम्मिलित हैं,की संख्या
1	2	3	4	5	6
चकराता वन प्रभाग रीवर रेंज	सिविल वन भूमि ग्राम मौजा विहार तथा थैना	450 X 7	0.315	22	बांज वृक्ष नहीं हैं
	पंचायत भूमि मौजा उटैल, तथा	2500 X 7	1.750	0	बांज वृक्ष नहीं हैं
	योग वन भूमि	2950	**2.065**	**22**	**रिक्त**
चकराता वन प्रभाग रीवर रेंज	**नाप भूमि**– ग्राम उटैल तथा थाना	1750 X 7	1.225	50	0
	कुल योग	4700मी0		72	**रिक्त**

प्रस्तावित मार्ग में वन भूमि में 22 वृक्ष बाधित हैं तथा नाप भूमि में 50 वृक्ष बाधित सूचित हैं। जिलाधिकारी,देहरादून के द्वारा वांछित वन भूमि में गैरवानिकी कार्य हेतु संस्तुति की गई है। प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग,चकराता की संस्तुति के पश्चात इस स्तर से निर्धारित संलग्न प्रपत्र–III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है। उक्त की हार्ड प्रति अलग से भी प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

संख्या 1025 (1) / 12-1 (1) **उक्त दिनांकित ।**

प्रतिलिपि प्रभागीय चकराता वन प्रभाग,चकराता को उनके पत्रांक 928/ 12–1 दिनांक 22–9–2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

भाग–III

(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम– जनपद देहरादून में विसोगीलानी से उटैल होते हुये थैना मन्दिर होकर काहा–नेहरा–पुनाह मोटर मार्ग का निर्माण कि0मी0 1 से 5 तक **हेतु** 2.065 हेक्टेअर वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	जी,नहीं ।
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांग 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

दिनांक –03 ~~सितम्बर~~ अक्टूबर, 2015
स्थान – देहरादून ।

हस्ताक्षर

नाम – (आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।